पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी जाती है। बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075–2078 राजस्व ग्राम आगवाड़ी पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 462 कुल रकबा 0.89 हैक्ट0 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर वाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रा0 पत्र 938/2023

निर्णय दिनांक 06.08.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम आगवाड़ी पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 462 कुल रकबा 0.89 हैक्ट0 भूमि का प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 19.10.2023 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.04.22 16:47:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner